मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मंगलवार को विधानसभा में संसदीय राजभाषा समिति गृह मंत्रालय की प्रथम उप समिति के संयोजक और सांसद डॉ. दिनेश शर्मा एवं समिति के सदस्यों ने मुलाकात की। डॉ. दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री रहे हैं। डॉ. दिनेश शर्मा के नेतृत्व वाली उपसमिति विभिन्न सरकारी कार्यालयों में हिन्दी कार्य संचालन का निरीक्षण करती है।

दो बार होगी दसवीं की परीक्षा

नई दिल्ली, 25 फरवरी। सीबीएसई (सीबीएसई) अब दसवीं कक्षा की परीक्षाएं दो बार करवाएगा। 2025-26 सत्र में दसवीं की बोर्ड परीक्षा दो बार होगी। ये परीक्षाएं पूर्ण पाठ्यक्रम पर ही आधारित होंगी। सीबीएसई ने इसको लेकर 9 मार्च तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बोर्ड परीक्षा में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए छात्रों को दोबारा मौक़ा दिया जा रहा है। हालांकि

- **सी.बी.एस.ई. ने इस प्रस्ताव पर 9 मार्च तक लोगों के सुझाव मांगे हैं।**

प्रायोगिक परीक्षा या आंतरिक मूल्यांकन केवल एक बार किया जाएगा। दोनों परीक्षाओंके लिए एक ही केन्द्र आवंटित किया जाएगा, वहीं परीक्षा शुल्क में वृद्धि की जाएगी। पहली बोर्ड की परीक्षा 2026 में 17 फ़रवरी से 6 मार्च तक होगी। वहीं, दूसरी परीक्षा 5 मई से 20 मई के बीच हो सकती है। सीबीएसई ने 2026 से दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित करने से जुड़े मसौदा नियमों को मंजूरी दी।

'एक साल में 6 मीटिंग नहीं करने पर कितने नगर परिषद अध्यक्षों को सस्पैंड किया गया है?'

-यादवेन्द्रे शर्मा-

- **हाई कोर्ट ने दौसा नगर परिषद अध्यक्ष ममता चौधरी के निलम्बन मामले में राज्य सरकार से शपथ पत्र माँगा।**
- **दौसा में नगर परिषद की अध्यक्ष ममता चौधरी को इसी नियम का उल्लंघन करने के कारण सस्पैंड किया गया था। अदालत जानना चाहती थी कि नगर परिषद की अध्यक्ष के साथ भेदभाव तो नहीं किया जा रहा।**

जयपुर, 25 फरवरी। राजस्थान हाई कोर्ट में नगर परिषद, दौसा की चयनित अध्यक्ष ममता चौधरी को संस्पेंड करने के खिलाफ दायर रिट याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में याचिकाकर्ता ममता चौधरी की ओर से पैरवी करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता आर.बी. माथुर और उनके सहायक अधिवक्ता निखिल सिमलोट और पलक माथुर पेश हुए थे। सुनवाई करते हुए न्यायाधीश महेन्द्र कुमार गोयल ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि वह शपथ पत्र सहित जवाब पेश करे कि उसने, एक साल में छह बार सभा आयोजित नहीं करने के लिए ममता चौधरी की तरह कितने म्यूनिसपलिटी या परिषद अध्यक्षों को इस नियम का उल्लंघन करने के लिए सस्पेन्ड किया है।

दरअसल इस मामले में दौसा स्थित नगर परिषद की अध्यक्ष को 7 अक्टूबर, 2024 को निलम्बित करने के आदेश दिये गये थे। निलम्बन के आदेश के साथ दी गई रिपोर्ट में कई कारण अंकित थे, जिनमें से एक कारण यह भी था कि अध्यक्ष ने सालभर में कम से कम छह सभाएं आयोजित करने के नियम का उल्लंघन किया था। राज्य सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान इस बिन्दु पर जोर देते हुए बहस की गई थी।

इसके विरोध में वरिष्ठ अधिवक्ता आर.बी. माथुर ने कहा कि उनके मुवक्किल के साथ भेद-भाव किया जा रहा है, क्योंकि पूरे प्रदेश में कई परिषद और म्यूनिसपेलेटी होंगी, जहां इस नियम का उल्लंघन किया गया हो, परन्तु, सिर्फ उनके ही मुवक्किल के साथ भेद-भाव करके निलम्बन के आदेश दिए गए, जबकि किसी भी पार्षद या अधिकारी ने न तो सभा बुलाने के पत्र लिखा या आदेश जारी किए थे।

इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने स्वायत्त शासन विभाग को शपथ पत्र सहित यह जानकारी देने को कहा है कि पूर्व में इस नियम के उल्लंघन के लिए कितनी परिषदों के अध्यक्षों को हटाया गया है।

इस मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी।

आतिशी सहित आप के 21 विधायक तीन दिन के लिए निलंबित

नयी दिल्ली, 25 फ़रवरी। दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान हंगामे और नारेबाजी के कारण नेता विपक्ष आतिशी समेत आम आदमी पार्टी (आप) के 21 विधायकों को तीन दिन के लिए निलंबित कर दिया गया।

सक्सेना के अभिभाषण के दौरान

- **उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नारेबाजी व हंगामा करने के कारण यह कदम उठाया गया है।**

आप विधायकों की ओर से उत्पन्न व्यवधान को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने सदन में एक प्रस्ताव लाकर अमर्यादित कार्य करने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की माँग की, जिसका विधायक अभय वर्मा ने समर्थन करते हुए सभी 21 सदस्यों को तीन दिन के लिए निलंबित करने की माँग की। विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने आप के 21 विधायकों के आज समेत तीन कार्य दिवस के लिए निलंबन का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। उल्लेखनीय है कि आप के 22 विधायकों में से ओखला के विधायक अमानतुल्लाह ख़ान आज सदन में मौजूद नहीं थे।

दिल्ली आबकारी नीति पर सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश हुई

- **दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी, जिसमें आबकारी नीति के कारण दो हजार करोड़ रु. के नुकसान की बात की गई है।**
- **रिपोर्ट में कहा गया है कि इस आबकारी नीति के बारे में सिफारिश के लिए गठित विशेषज्ञ समूह के सुझावों को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नज़रअंदाज कर दिया था।**

नयी दिल्ली, 25 फरवरी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जिसमें दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल की विवादास्पद आबकारी नीति के बारे में विभिन्न अनियमितताओं को रेखांकित करते हुये कठोर टिप्पणियां की गयी हैं। सी.ए.जी. की रिपोर्ट विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन सदन के पटल पर रखी गयी, जिसमें कहा गया है कि दोषपूर्ण 2021-22 आबकारी नीति के कारण दिल्ली सरकार को दो हजार करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय नुकसान हुआ।

"परफार्मेंस आडिट ऑन रेगुलेशन एंड सप्लाई ऑफ लिकर इन दिल्ली" शीर्षक, इस रिपोर्ट को सदन में विपक्ष की नेता आतिशी सहित आम आदमी पार्टी के 12 विधायकों के निलंबन के बाद पटल पर रखा गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में विवादास्पद आबकारी नीति के बारे में सिफारिश के लिये गठित विशेषज्ञ समूह के सुझावों को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री एवं आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि शराब के लाइसेंस वापस किये जाने और शराब जोन की निविदा पुन: जारी करने के मामले में आबकारी विभाग की विफलता के कारण विभाग को 890.15 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

सी.ए.जी. की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 की पाबंदियों के नाम पर शराब की दुकान के लाइसेंस धारकों को दी गयी दी 144 करोड़ रुपये की छूट नियमानुसार नहीं थी। छूट के इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की आपत्तियों के बावजूद सिसोदिया ने व्यक्तिगत रूप से इसकी मंजूरी दी थी।

विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने पिछली आप सरकार के रवैये की आलोचना करते हुये कहा, यह जानकर आश्चर्य होता है कि 2017-18 के बाद विधानसभा में सी.ए.जी. की रिपोर्ट विधानसभा में पेश ही नहीं की गयी। पिछली सरकार ने सी.ए.जी. की रिपोर्ट पेश नहीं की और इस तरह संविधान का उल्लंघन किया।

इससे पहले उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सदन में अपने अभिभाषण में कहा कि उनकी सरकार ने मंत्रिमंडल की अपनी पहली बैठक में कैग की रिपोर्टों को सदन पटल पर रखने का फैसला किया था, इससे पिछली सरकार की प्रशासनिक कमियों का पता लगाने और उनका समाधान करने का रास्ता बना है।

'अगला महाकुंभ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वांगचुक ने कहा, भारत को ग्लेशियर संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि हमारी पवित्र नदियाँ गंगा और यमुना यहीं से निकलती हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के लिए जो कदम उठाए हैं, उनके वे प्रशंसक हैं, खासकर "मिशन लाइफ" अभियान के। उन्होंने प्रधानमंत्री से हिमालय के ग्लेशियर्स की स्थिति का आकलन करने के लिए आयोग बनाने की मांग की।

वांगचुक ने कहा, हम सभी जानते हैं कि हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और अगर बर्फ का पिघलना व जंगलों का विनाश जारी रहा तो कुछ ही दशकों में हमारी पवित्र नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु आदि मौसमी नदियाँ बन जाएंगी, इसका अर्थ होगा कि अगला कुंभ सूखी नदी की रेत पर होगा। उन्होंने कहा, आम लोगों को इस बारे में बहुत कम जानकारी है। वांगचुक ने कहा, हिमालय के ग्लेशियर के आकलन के लिए आयोग बनाया जाए और गंगोत्री व यमुनोत्री जैसे प्रमुख ग्लेशियर्स को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित किया जाए। वांगचुक ने प्रधानमंत्री से मिल कर उन्हें लद्दाख के तेजी से पिघलते ग्लेशियर का टुकड़ा देने की इच्छा जताई, ताकि उन्हें क्षेत्र के जलवायु प्रभावित लोगों को संदेश दिया जा सके।

उन्होंने कहा कि इस ग्लेशियर वर्ष में मेरी विश्व के सभी नेताओं को ग्लेशियर का टुकड़ा देने की योजना है। मैंने ऐसा ही टुकड़ा यू.एन. को न्यूयॉर्क मुख्यालय में भेंट किया है।

लैंड फॉर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का निर्देश दिया गया है। भ्रष्टाचार के इस मामले में सीबीआई ने 78 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को समन जारी किया है। यह मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य मंडल में की गईं समूह 'डी' नियुक्तियों से संबंधित है। अधिकारियों के अनुसार, केन्द्रीय रेल मंत्री के रूप में प्रसाद के कार्यकाल के दौरान 2004 और 2009 के बीच राजद सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों को उपहार के रूप में या उनके नाम पर भूखंड हस्तांतरित करने के बदले ये नियुक्तियां की गईं।

मस्क की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गई, जिसमें कर्मचारियों को यह समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए।

अमेरिकी न्याय विभाग, पैंटागॉन (यानी रक्षा विभाग), यू.एस.एफ.बी.आई. होमलैंड सिक्यूरिटी विभाग, राज्य विभाग और अन्य कई विभागों ने अपने कर्मचारियों को यह निर्देश दिया है कि वे ई-मेल का जवाब न दें, नासा ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वे इसका जवाब न दें और इसके बजाय एजेंसी स्वयं जवाब देगी।

सबसे अच्छा जवाब यू.एस. फैडरल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से आया। फेडरल एविएशन अथॉरिटी यूनियन ने कहा कि मेल का जवाब, हवाई सुरक्षा के उनके काम से ध्यान भटकाने वाला है।

एफ.ए.ए.ए. विभागों की यूनियनों का लंबे समय से यह आरोप रहा है कि उनके विभागों में कर्मचारियों की कमी है और वे नियमित रूप से ओवरटाइम काम करते हैं।

पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को आजीवन कारावास

सज्जन कुमार को 1989 के सिख विरोधी दंगे में शामिल होने का आरोपी पाया गया है

- **आरोप है कि दिल्ली के सरस्वती विहार में, 1984 में जिस भीड़ ने सिख समुदाय के दो लोगों की हत्या कर दी थी उस भीड़ की अगुवाई सज्जन कुमार कर रहे थे।**

नयी दिल्ली, 25 फरवरी। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने 1984 में सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार इलाके में दो व्यक्तियों की हत्या से संबंधित एक मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। एमपी/एमएलए मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश सुनाया।

अदालत ने 12 फरवरी को सज्जन कुमार को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया था। सजा की अवधि पर दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने फैसला सुनाने के लिए मामले को 25 फरवरी के लिए सूचीबद्ध कर दिया था।

वर्तमान मामला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके दो सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में हुए व्यापक सिख विरोधी दंगों के कई उदाहरणों में से एक से संबंधित है। दंगों में, देश के विभिन्न हिस्सों में हजारों सिखों की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई, उनके घरों और दुकानों को जला दिया गया और उनके सामान लूट लिये गये।

इसी दौरान, दिल्ली के राज नगर निवासी एस. जसवंत सिंह और उनके बेटे एस. तरुणदीप सिंह की हजारों लोगों की एक अनियंत्रित भीड़ ने हत्या कर दी थी। अभियोजन पक्ष का कहना है कि आरोपी सज्जन कुमार भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे और उनके उकसावे पर ही भीड़ ने जसवंत सिंह और तरुणदीप सिंह को जिंदा जला दिया, उनके घरेलू सामान और अन्य संपत्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया और लूट लिया, उनके घर को आग के हवाले कर दिया तथा घर में रहने वाले उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को भी गंभीर चोटें पहुंचायीं।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि भीड़ ने शिकायतकर्ता, यानी जसवंत की पत्नी के घर पर हमला किया, उसके पति और बेटे की हत्या कर दी, सामान लूट लिया तथा घर को आग लगा दी। इस मामले में आरोप पत्र शुरू में राउज एवेन्यू जिला अदालत (आरएडीसी) के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में ई-फॉर्म में दाखिल किया गया था। बाद में पांच मई 2021 को आरोप पत्र भौतिक रूप से प्राप्त हुआ और उसके बाद इसे जांचने तथा पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) ने 26 जुलाई 2021 के आदेश के तहत कथित अपराधों का संज्ञान लिया। बाद में, एसीएमएम ने 30 जुलाई 2021 के आदेश के अनुसार, अपराध दंड संहिता की धारा 207 के प्रावधानों के अनुपालन के बाद मामले को सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध तथा अन्य अपराधों से संबंधित मुकदमों में विशेष रूप से सत्र न्यायालय सुनवाई करता है।

सरकार सदन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने और सुरक्षा कर्मियों व पुलिस के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की चेतावनी दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह झगड़ा स्पीकर और मुख्यमंत्री का है। अपने आपसी अंतर्कलह की सजा भाजपा जनता को दे रही है।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि विपक्ष ने गतिरोध दूर करने का हर संभव प्रयास किया है, लेकिन सत्ता पक्ष हठधर्मिता नहीं छोड़ रहा है। हमने पूरे घटनाक्रम पर खेद प्रकट किया। उन्होंने साफ किया कि जब तक गतिरोध खत्म नहीं होता है, हमारा धरना जारी रहेगा। यदि हमारे निलंबित विधायकों सदन में घुसने से रोका गया तो हम विधानसभा के पश्चिमी द्वार पर धरना देंगे।

गौरतलब है कि 21 फरवरी को सदन में प्रश्नकाल के दौरान मंत्री अविनाश गहलोत की ओर से इंदिरा गांधी को लेकर की गई दादी की टिप्पणी के बाद से सदन में गतिरोध बना हुआ है। सदन में हंगामे के चलते कांग्रेस के छह विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद कांग्रेस के सभी विधायकों ने सदन में धरना दिया था। उसके बाद से लगातार गतिरोध बरकरार है।

परकोटे में बने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संबंध में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि रिहायशी क्षेत्र में अवैध निर्माण होना व व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करना कानूनी प्रावधानों की अवहेलना करना है।

सुनवाई के दौरान, एएजी जीएस गिल ने कहा कि अदालती आदेश की पालना में सर्वे कर भवनों की तीन कैटेगरी बनाई हैं। पहली कैटेगरी में उन भवनों को रखा गया है, जो पूरी तरह अवैध है। इन भवनों की संख्या 19 है। वहीं, शेष दो कैटेगरी में बिल्डिंग बॉयलॉज के खिलाफ जाकर किए गए निर्माणों को शामिल किया गया है। अवैध निर्माण वाली 19 इमारतों पर कार्रवाई की जाएगी। इस पर न्यायमित्र शोभित तिवाड़ी ने कहा कि नगर निगम इन भवनों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई कर चुका है और इन्हें सील कर दिया है।

इस पर खंडपीठ ने उन्हें कहा कि यदि पहले की कार्रवाई में कोई कमी रही है तो दोबारा इन अवैध भवनों को सील कर दिया जाए। इस मामले में हाईकोर्ट ने प्रमुख यूडीएच सचिव की कमेटी बनाकर उसे रिपोर्ट देने के लिए कहा था।

रिपोर्ट में 19 भवनों को पूर्णतया और 12 भवनों को आंशिक तौर पर अवैध माना था। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने हल्दियों के रास्ते के आवासीय इलाके में व्यावसायिक गतिविधियों पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए राज्य सरकार व नगर निगम से रिपोर्ट देने के लिए कहा था।

नीतीश के बेटे निशांत के राजनीति में पदार्पण की अटकलें तेज हुईं

- **निशांत ने आगामी चुनाव में जद (यू) और अपने पिता को विजयी बनाने की अपील की।**
- **हालांकि, निशांत राजनीति में आने की चर्चाओं पर नीतीश कुमार ने अभी कुछ नहीं कहा है।**

पटना, 25 फरवरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने को लेकर प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। निशांत ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत की। ज्ञातव्य है कि राजद नेता तेज प्रताप यादव ने निशांत से राजद में शामिल होने की अपील की थी। इस पर निशांत ने कहा कि आइए जनता के बीच में चलते हैं, वही बताएगी कि क्या करना है। इस बयान को निशांत के चुनावी राजनीति में आने का संकेत माना जा रहा है। निशांत ने लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में जदयू को और अधिक सीटों पर जिताने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नीतीश कुमार को लाड़ला मुख्यमंत्री बताए जाने पर उन्होंने कहा कि गठबंधन में हैं तो बोलेंगे ही। इसके साथ ही उन्होंने एनडीए से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की अपील की।

राजनीति में आने को लेकर चल रहीं चर्चाओं को लेकर पूछे गए सवाल का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उल्लेखनीय है कि निशांत के राजनीति में आने को लेकर पिछले कई महीनों से चर्चा चल रही है। जदयू कार्यकर्ताओं ने पटना में पार्टी कार्यालय के सामने इसे लेकर पोस्टर भी लगाया था। हालांकि, इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और निशांत ने अब तक मुंह नहीं खोला है।

इस कारण यह सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या चुनाव के पहले निशांत राजनीति में आएंगे।

कांग्रेस ला ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कार्यवाही से हटाया जाए। साथ ही मंत्री अपने उस शब्द पर सदन में खेद प्रकट करें और जिन कांग्रेस विधायकों का निलंबन किया है, उस निलंबन को रद्द किया जाए। इसके अलावा उनकी और कोई मांग नहीं है।

मुम्बई में हीटवेव अलर्ट

मुंबई, 25 फरवरी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और आसपास के जिलों में फरवरी महीने के आखिरी में ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने 25 और 26 फरवरी को मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी में हीटवेव (लू) का अलर्ट जारी किया है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की वैज्ञानिक सुषमा नायर ने बताया कि अगले दो दिनों में तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की

- **फरवरी माह में मुम्बई में गर्मी असर दिखाने लगी है, मौसम विभाग ने दो दिन हीटवेव का अलर्ट जारी किया है।**

संभावना है।

इस दौरान, दोपहर के समय गर्मी का असर ज्यादा रहेगा और लू चलने की आशंका है। हीटवेव की स्थिति तब बनती है, जब तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक हो जाता है।

कोंकण क्षेत्र में गर्मी के साथ उमस भी बढ़ेगी, जिससे लोगों को और ज्यादा परेशानी हो सकती है। जबकि रत्नागिरी और अलीबाग जैसे समुद्री इलाकों में भी तापमान बढ़ने की संभावना है।

मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।

स्टालिन ने एक और राजनीतिक बम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लगभग सभी दक्षिण भारतीय राज्य आते हैं, को दण्डित किया जा सकें, तथा जनसंख्या के मामले में फिसड्डी रहने वाले राज्यों, जो जनसंख्या ग्रोथ को नियंत्रित कर पाये हैं, को पुरस्कृत किया जा सके।

ऐसी आशंका है कि सीटों के लिये जनसंख्या का फॉर्मूला लागू होने के बाद, तमिलनाडु में साठ संसदीय सीटें कम हो सकती हैं तथा उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की सीटें बढ़ सकती हैं। इसका नतीजा यह होगा कि उत्तरी तथा दक्षिण भारतीय क्षेत्रों की राजनैतिक ताकत असन्तुलन पैदा हो जायेगा।

इस समय, दक्षिण भारत कुल मिलाकर 130 सांसद लोकसभा में भेजता है, लेकिन दक्षिण भारत के सभी पाँच राज्यों एवं केन्द्र शासित पुडुचेरी में किसी एक पार्टी का प्रभुत्व नहीं है। राजनैतिक विश्लेषकों को डर है कि हिन्दी भाषी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कोई भी पार्टी, दक्षिण भारत के मतदाताओं पर किसी प्रकार की निर्भरता के बिना, केन्द्र में सरकार बना सकती है।

मुख्यमंत्री स्टालिन, इस बिन्दु का नाम लिये बिना, इसी बिन्दु का उठाना चाहते हैं।

यह तयशुदा है कि द्रमुक ईकोसिस्टम इस मुद्दे को, तथा इसके साथ ही, भावनात्मक भाषा के मुद्दे को जोर-शोर से उठायेगा, तथा तमिलनाडु में भाजपा के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के लिये मुश्किल खड़ी हो जायेगी। प्रसंगवश बता दें कि अगर अन्नाद्रमुक नई शिक्षा नीति तथा परिसीमन का समर्थन करती है, तो उसे अपनी सफाई देना मुश्किल हो जायेगा।

आज सर्वदलीय मीटिंग बुलाने की घोषणा करने की घोषणा करने से पहले, स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु को संसदीय सीटों की संभावित कमी की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस राज्य ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू किया है।

परिसीमन की कवायद दक्षिणी राज्यों के लिये राजनैतिक रुप से समान रुप से घातक होगी। इस समय, इनमें से 4 राज्यों में गैर-भाजपा पार्टियों का शासन है। परिसीमन का आधार एकमात्र जनसंख्या के आँकड़े होंगे तथा इसलिये परिसीमन के फलस्वरुप सभी दक्षिण भारतीय राज्यों में संसदीय सीटों की संख्या कम हो सकती है।

संसद में अपने राजनैतिक हिस्से पर पड़ने वाले असर को लेकर दक्षिण बहुत चिन्तित बताया जा रहा है क्योंकि उत्तरी भारत के राज्यों की आबादी बहुत ज्यादा होने के कारण, संसद में उत्तर तथा दक्षिण की सीटों का अनुपात बहुत असंगत हो जायेगा।

आंध्र प्रदेश, जहाँ भाजपा के मित्रदल, तेलुगुदेशम का शासन है, ने इस बिन्दु सार्वजनिक रुप से अपनी चिन्ता व्यक्त की है तथा मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडू ने आंध्रवासियों से ज्यादा बच्चे पैदा करने का आव्हान किया है।

हाई कोर्ट ने एनएचएआई से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हटाने की कार्रवाई में राज्य सरकार से प्रशासनिक सहयोग की बात कही। इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल ने उचित सहयोग देने का आश्वासन दिया। अदालत के पूछने पर एनएचएआई की ओर से अदालत को बताया गया कि भांकरोटा में बन रही पुलिया का काम 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। इस पर अदालत ने कहा कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है और कोर्ट अदालती निर्देशों की पालना को लेकर मॉनिटरिंग करना चाहती है। इसके साथ ही, अदालत ने एनएचएआई को 18 मार्च को अतिक्रमण हटाने की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जनहित याचिका में कहा गया कि जयपुर-अजमेर हाईवे पर बन रहे फ्लाईओवर का समय पर निर्माण पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते यहां जगह-जगह कई घंटों तक वाहन जाम में फंसे रहते हैं। ऐसे में इसका निर्माण समय पर पूरा करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए जाएं।

केरल में युवक ने प्रेमिका और अपने परिवार के 5 लोगों की हत्या की

तिरुवनंतपुरम, 25 फरवरी। केरल में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। दरअसल तिरुवनंतपुरम में एक युवक ने अपनी प्रेमिका समेत परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दी। हमले में युवक की मां गंभीर रूप से घायल हुई है। हत्या की वजह का अभी तक पता नहीं चला है। आरोपी युवक ने भी जहर पीकर आत्महत्या की कोशिश की। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है।

पुलिस ने बताया कि 23 वर्षीय आरोपी युवक अफान ने अपनी दादी, पिता के भाई, पिता के भाई की पत्नी, 14 साल के भाई और अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। आरोपी ने अपनी मां पर भी जानलेवा हमला किया।

'हो सके तो अपने विधायकों को इकट्ठा करके दिखाओ'

- **पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आप के 32 विधायकों के बारे में प्रताप सिंह बाजवा के दावे पर उन्हें चुनौती दी।**

चंडीगढ़, 25 फरवरी। पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा पर हमला बोलते हुए राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सत्ताधारी 'आप' विधायकों का समर्थन हासिल करने के सपने देखने के बजाय, कांग्रेस को अपनी पार्टी को एकजुट रखने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। पंजाब विधानसभा में बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने विपक्षी नेताओं द्वारा दिए गए बयानों को महज़ कल्पना और हवाई किला करार दिया, जिसमें कहा गया था कि 'आप' के कुछ विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं और पार्टी छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता न तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हैं और न ही जनता से, इसलिए पंजाब की जनता ने उन्हें नकार दिया है। मान ने कहा कि ये नेता लगातार बेतुके बयान दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी केन्द्र सरकार के सामने पंजाब के मुद्दे नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि 'आप' विधायकों के संपर्क में होने की बात सिर्फ बाजवा की मीडिया में सुर्खियां बटोरने की चाल है। मान ने कांग्रेस नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि 'आप' विधायकों की चिंता छोड़कर, उन्हें अपनी पार्टी को एकजुट करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुये कहा कि मौजूदा विधानसभा में कांग्रेस के सात विधायक भी एकजुट होकर काम नहीं कर सकते।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908